N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0277 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 18/10/2025 19:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 15/10/2025 Date To (दिनांक तक): 17/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 12:15 बजे Time To (समय तक): 12:40 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 18/10/2025 Time (समय): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 18/10/2025 19:56:28 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 40 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): KARALYA ADHISHASHI ABHIYANTA,SARVAJANIK NIRMAN VIBHAG,, KHAND LALSOT,JILA DAUSA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): LEKHRAJ MEENA

(b) Father's Name (पिता का नाम): BANSHILAL MEENA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 2002 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM DURJANWAS, RAHUWAS, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM DURJANWAS, RAHUWAS, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):
Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SAMUNDRA SINGH		पिता:HARISINGH	1. GRAM PAVATA,MAHUW,SALEMPUR,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA
2	HANSRAJ		पिता:GOVIND	1. GRAM RAJAULI,LALSOT,LALSOT,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA
3	VISHNU KUMAR SAINI		पिता:MEETHALAL SAINI	1. NAURU COLONY,LALSOT,LALSOT,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		6,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 6,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.10.2025 को समय करीब 11.15 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक को श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस ने जरिये मोबाईल बताया कि मेरे पास 10ः45 एएम पर परिवादी श्री लेखराज मीना पुत्र बंशीलाल मीना निवासी ग्राम दुर्जनवास तहसील राहुवास जिला दौसा ने जरिये मोबाईल नम्बर [redacted] बताया कि डी क्लास का ठेकेदारी का लाईसेंस बनाने के एवज में पीडब्ल्युडी विभाग लालसोट के कर्मचारी रिश्वत की मांग कर रहे है जिन्हे मै रिश्वत नही देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूॅ। परिवादी ने मुझे ये भी बताया कि मैने आपके नम्बर 1064 पर फोन करके लिये है और मै अभी दौसा नही आ सकता हूॅ। श्रीमान उप अधीक्षक द्वारा उपरोक्त बाते जरिये मोबाईल बताकर परिवादी के नम्बर मुझ पुलिस निरीक्षक को देकर निर्देश दिये कि आप परिवादी लेखराज से बात करके लालसोट ही पहुंच कर लिखित रिपोर्ट लेकर अग्रिम कार्यवाही करें इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने मालखाने से एक डिजिटल रिकार्डर मय एसडी कार्ड के निकलवाकर लिया एवं कानि. श्री राकेश कुमार को हमराह लेकर मय सरकारी वाहन के लालसोट के लिये रवाना हुआ एवं परिवादी श्री लेखराज से जरिये मोबाईल [redacted] सम्पर्क कर लालसोट बस स्टैण्ड पर उपस्थित मिलने हेतु कहा गया । जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक कार्यालय से रवाना होकर बस स्टैण्ट लालसोट पहुचा जहॉ परिवादी उपस्थित मिला जिसने श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी दौसा के नाम से सम्बोधित करते हुये एक प्रार्थना पत्र रिश्वत लेते हुये पकडवाने बाबत इस आशय से प्रस्तुत किया कि मै लेखराज मीणा पुत्र बंशीलाल मीणा निवासी ग्राम दुर्जनवास तहसील राहुवास तहसील दौसा का रहने वाला हुॅ मैने पीडब्ल्युडी कार्यालय लालसोट में ठेकेदारी के लिये डी क्लास का लाईसेंस बनाने के लिये आवेदन किया हुआ है लेकिन पीडब्ल्युडी कार्यालय के काफी चक्कर काटने के बाद भी मेरे लाईसेंस बनाने का कार्य नही हो रखा है तथा पीडब्ल्युडी कार्यालय में कम्प्युटर का कार्य करने वाले हंसराज सैनी मुझसे 2500/- रूपये रिश्वत मांग रहा है एवं पीडब्ल्युडी कार्यालय के बाबू समुन्द्र जी मुझसे लाईसेंस बनाने के लिये 5000/- रूपये की रिश्वत मांग रहे है जो मै नही देना चाहता हूॅ और इन दोनों को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूॅ। दोनों से मेरी कोई रंजिश नही है और ना ही कोई लेन देन बाकी है कार्यवाही करने की कृपा करे। उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत मांग का पाये जाने पर पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी को आवश्यक समझाईस की गई तो परिवादी ने बताया कि साहब पी.डब्लु.डी. में जिन बाबूजी से मेरा काम है वो कार्यालय में नही आये है इसलिये आज उनसे बातचीत नही हो सकेगी मै दिनांक 16.10.2025 को उनके कार्यालय में आने पर मेरे काम के सिलसिले में बातचीत के लिये मिलूंगा तब मेरी रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपको सुचित कर दूंगा या आपके पास कार्यालय में आ जाउंगा। इस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत व समझाईस की गई कि कल दिनांक 16.10.2025 को आपके पास कानि. राकेश को सुबह भिजवा दूंगा तब आपको वॅईस रिकार्डर देगे जिसमें आप आपके कार्य हेतु जो बातचीत पीडब्ल्युडी बाबूजी से करो वो उसमें रिकार्ड कर लेना परिवादी को मुनासिब समझाईस की गई। इस पर समस्त हालात जरिये मोबाईल श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस को निवेदन कर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री राकेश कानि. मय सरकारी वाहन के रवाना होकर वापस कार्यालय आया। डिजिटल वॅाईस रिकार्डर एवं परिवादी से प्राप्त प्रार्थना पत्र को अपने कब्जे की सरकारी अलमारी रखा गया। इसके बाद दिनांक 16.10.2025 को समय 08ः30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कब्जे की अलमारी से पैन ड्राईवनुमा वॉईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के बाहर निकालकर श्री राकेश कानि. को जरिये फर्द सुपुर्दगी पैन ड्राईवनुमा वॉईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत देकर परिवादी श्री लेखराज से सम्पर्क कर परिवादी लेखराज द्वारा दिनांक 15.10.2025 को दी गई रिपोर्ट पर अग्रिम रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु लालसोट रवाना किया गया। इसके बाद समय 07ः00 पीएम पर श्री राकेश कुमार कानि. वापस कार्यालय आया जिसने मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुपुर्दषुदा पैन ड्राईवनुमा वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि मै

आपके निर्देषानुसार कार्यालय से रवाना होकर परिवादी लेखराज से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी मुझे सलेमपुरा बस स्टैण्ड पर मिला जहां परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना होकर पीडब्ल्युडी कार्यालय लालसोट के सामने पंहुचा जहां पर परिवादी को मैने पैन ड्राईवनुमा वॉईस रिकार्डर को चलाने व बंद करने की विधि समझाकर पैन ड्राईवनुमा वॉईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के सुपुर्द किया गया। उसके बाद परिवादी मेरे पास से रवाना होकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय के अन्दर गया जो कुछ देर बाद मेरे पास वापस आया तब वॉईस रिकार्डर को बंद कर मुझे बताया कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय में श्री हंसराज सैनी जो कम्प्युटर का कार्य करता है उससे मेरे कार्य बाबत मिला और बातचीत की तो उसने मेरे कार्य को करने की ऐवज में मुझसे 2500 रूपये बतौर रिश्वत के मांगें है जिसको मैने वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है तत्पश्चात मैने उनसे समुन्द्र बाबूजी के लिये पूछा तो अभी कार्यालय में नही होना बताया इसलिये मै आपके पास वापस आ गया। उनके कार्यालय में आने पर उनसे बातचीत के लिये जाउंगा तत्पष्चात् मै तथा परिवादी बाहर बैठकर आरोपी समुन्द्र बाबूजी के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद परिवादी को पुनः वॉईस रिकार्डर को चालू कर अन्दर जाने हेतु कहा जिस पर परिवादी ने वॉईस रिकार्डर चालू कर कार्यालय के अन्दर चला गया तथा मै बाहर बैठा रहा। कुछ देर बाद परिवादी वापस मेरे पास आया व वॉईस रिकार्डर बंद कर मुझे बताया कि अभी समुन्द्र बाबूजी कार्यालय में नही आये है। इसके बाद थोडी देर इंतजार करने के पश्चात मैने पुनः परिवादी को वॅईस रिकार्डर चालू करने की हिदायत कर पीडब्ल्यूडी कार्यालय के अन्दर भिजवा दिया जो कुछ समय पश्चात मेरे पास वापस आया जिसने वॉईस रिकार्डर बंद कर मुझे बताया कि समुन्द्र बाबूजी कार्यालय में हो रही मिटिंग में व्यस्त है तथा उनके आस-पास कुछ व्यक्ति होने से मेरे कार्य बाबत बातचित नही हुई है जब वो अकेले में होगे तब ही मै जाकर उनसे बातचित करूंगा। इसके कुछ समय पश्चात् परिवादी ने आरोपी हंसराज सैनी से फोन कर पूछा कि श्री संमुन्द्र बाबू जी फ्रि हो गये क्या तब उसने हां कहा इसके पश्चात मैने पुनः परिवादी को वॉईस रिकार्डर चालू करने की हिदायत कर पीडब्ल्यूडी कार्यालय के अन्दर भिजवा दिया जो कुछ समय पश्चात मेरे पास वापस आया जिसने वॉईस रिकार्डर बंद कर मुझे बताया कि समुन्द्र बाबूजी ने मुझसे मेरे कार्य के बदले 5000 रूपये रिश्वत की मांग अपने उच्चाधिकारियों के नाम पर की है जिन्होने मुझसे 1500 रूपये अभी प्राप्त कर लिये है बाकि शेष रिश्वत राशि 3500 रूपये दिनांक 17.10.2025 लेने हेतु सहमत हुये है। उक्त हुई वार्ता को मैने वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है। परिवादी से वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर अपने पास रखा। इसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य है मै अभी आपके साथ कार्यालय नही चल सकता हूॅ इस पर मेरे द्वारा आपको फोन कर सारे हालत बताये तब आपके निर्देशानुसार परिवादी को लालसोट छोडकर मै वापस कार्यालय में आया हूॅ। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार कानि. द्वारा बताये गये हालात की पुष्टि बाबत वॅाईस रिकार्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो कानि. द्वारा बताये गये हालात एवं बातो की पुष्टि होना पायी गयी। वॅाईस रिकार्डर को अपने कब्जे की सरकारी अलमारी में सुरक्षित रखा गया आईन्दा स्वतन्त्र गवाहान के उपस्थित आने पर वॉईस रिकार्डर को बाहर निकालकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मांग सत्यापन व जब्ती एसडी कार्ड/डीवीडी तैयार कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जावेगी। उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। समस्त हालात श्रीमान उप अधीक्षक महोदय को निदेवन किये गये। परिवादी को प्रातः 8.00 एएम पर मय आरोपीगण को दी जाने वाली शेष रिश्वत राशि 6000 रूपये लेकर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। तत्पश्चात दिनांक 17.10.2025 को समय 08ः40 एएम पर पाबंदशुदा परिवादी श्री लेखराज मीना पुत्र बंशीलाल मीना उम्र 23 साल निवासी ग्राम दुर्जनवास तहसील राहुवास जिला दौसा उपस्थित कार्यालय आया जिसको मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय में बैठाया। तत्पश्चात समय 08ः45 एएम पर पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री नरेश कुमार पुत्र श्री अतर सिंह उम्र 31 वर्ष जाति गुर्जर निवासी बरोदा थाना रूदावल भरतपुर हाल सहायक नगर नियोजक नगर परिषद जिला दौसा व श्री कृष्णावतार शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 40 साल निवासी मोडापट्टी तहसील व जिला दौसा हाल फायरमैन जिला दौसा उपस्थित कार्यालय आये जिनको पूर्व से बैठे हुये परिवादी श्री लेखराज मीना पुत्र बंशीलाल मीना निवासी ग्राम दुर्जनवास तहसील राहुवास जिला दौसा से परिचय करवाकर परिवादी द्वारा दिनांक 15.10.2025 को पेश लिखित रिपोर्ट पर अब तक की गई कार्यवाही बाबत बताया गया एवं कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमती प्राप्त कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 9.00 ए.एम.से 10ः45 ए.एम परिवादी श्री लेखराज मीना व स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को बाहर निकाला गया व वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपीगण द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब- शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री हंसराज व श्री समुन्द्र बाबुजी की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता के एसडी कार्ड व डीवीडी बनाने हेतु दो एसडी कार्ड 16 जीबी व तीन डीवीडी खाली मंगवाई जाकर उनको खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से दो एसडी कार्ड 16 जीबी व तीन डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर दोनों एसडी कार्ड 16 जीबी व

तीनों डीवीडी पर मार्क- A-1,A-2,A-3,A-4,A-5 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी लेखराज के हस्ताक्षर करवाकर दोनों एसडी कार्ड 16 जीबी न्यायालय हेतु मार्क A-1,A-2,को एसडी कार्ड कवर में व दो डीवीडी आरोपी हेतु मार्क A-3,A-4, को प्लास्टिक के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित दोनों एसडी कार्ड 16 जीबी व दोनों डीवीडी को अलग-अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1,A-2,A-3,A-4, अंकित कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया जाकर एचएम मालखाना श्रीमती मंजू म0 हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया तथा डीवीडी मार्क A-5 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। रिकॉर्ड शुद्दा वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देषानुसार कार्यालय के कम्प्यूटर पर श्री राकेष कानि0 70 से तैयार करवाई गई। जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती एसडी कार्ड 16 जीबी व डीवीडी रिश्वती राशि मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 10◌:55 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक श्री रमेश चन्द के द्वारा परिवादी श्री लेखराज मीना से आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से आरोपी श्री समुन्द्र सिंह बाबू को दी जाने वाली रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 7 नोट कुल 3500/-रू0 एवं आरोपी श्री हंसराज कम्प्यूटर ऑपरेटर को दी जाने वाली रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 5 नोट कुल 2500 रूपये पृथक-पृथक निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। जो श्री समुन्द्र सिंह बाबू को दी जाने वाली रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 7 नोट कुल 3500/-रू0 व आरोपी श्री हंसराज कम्प्यूटर ऑपरेटर को दी जाने वाली रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 5 नोट कुल 2500 रूपये दिये जाने हैउक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एंव उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। परिवादी द्वारा पेष शुदा नोटों पर श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीषी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 3500 रूपये एवं 2500 रूपये के नोटों को पृथक-पृथक रखकर उन पर श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से बारी-बारी से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी लेखराज मीना की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री कृष्णावतार से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं मिला। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त आरोपी श्री समुन्द्र सिंह को दी जाने वाली रिश्वत राशि 3500/-रू. के नोट श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक से परिवादी के पहने हुये पायजामा की उपर की दायी तरफ की जेब में रखवाये गये एंव फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त आरोपी श्री हंसराज को दी जाने वाली रिश्वत राशि 2500/-रू. के नोट श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक से परिवादी के पहने हुये पायजामा की सामने की दायी तरफ की नीचे वाली जेब में रखवाये गये परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपीगण रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हे देवे। और ध्यान रखे की आरोपीगण रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखते है। परिवादी को आरोपीगणो के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत देने का निर्धारित ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपीगण के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक नये साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपीगण उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगे तो उनके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उनके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया एंव गिलास को नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात पाउडर लगाने वाले श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक एवं परिवादी, गवाहान एंव ट्रैप पार्टी के सदस्यां के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं मिली, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक को हिदायत देकर कार्यालय में छोडा गया। उक्त बाद हस्ताक्षर फर्द शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 11◌:20 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक रमेश चन्द मय स्वतन्त्र गवाह श्री नरेश कुमार व श्री कृष्णावतार व परिवादी श्री लेखराज मीना स्टाफ सदस्य श्री दौलतराम हैड कानि न0 101, श्री हरभान कानि0 591, श्री मुकेश कुमार कानि न0 101, श्री राकेश कुमार कानि0 70, श्री प्रेम प्रकाश कानि0 382 मय सरकारी वाहन मय चालक कानि0 श्री कैलाश नं0 654 के व प्राईवेट वाहन से तथा श्री नवल किशोर पुलिस उप अधीक्षक सुपरविजन हेतु मय स्टाफ

सदस्य श्री बनवारी लाल शर्मा हैड कानि न0 116, श्री लोकेश कुमार कानि0 155, के प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एसीबी कार्यालय दौसा से कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लालसोट जिला दौसा के लिए रवाना होने पर समय 12ः25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के सवाई माधोपुर रोड लालसोट स्थित कार्यालय पीडब्ल्युडी विभाग के पास पहुंचा जहाँ परिवादी को संदिग्ध आरोपीगणां के पास कार्यालय पीडब्ल्युडी लालसोट में जाने हेतु रवाना कर श्री राकेश कुमार कानि0 70 को हिदायत दी गई कि परिवादी को आरोपी के पास जाने से पूर्व उसको सुपुर्दशुदा डिजिटल वॅईस रिकार्डर को चालू करवाये। मन् पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी के कार्यालय पीडब्ल्युडी लालसोट के बाहर सामने रोड पर अपनी-अपनी उपस्थित छुपाते हुये मुकीम हुये परिवादी के नियत ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय 12ः40 पीएम पर सवाई माधोपुर रोड, लालसोट के पास स्थित सानिवि खण्ड लालसोट के कार्यालय के सामने खडे होकर परिवादी ने अपने सिर पर हाथ फेरकर ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों व श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक जो निर्देशन हेतु हमराह है के साथ तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचे। जहां पर परिवादी उपस्थित मिला तत्पश्चात आरोपीगणों के इधर उधर भागने की संभावना को मध्यनजर रखते हुये परिवादी से कुछ समय उपरान्त सुपुर्दशुदा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर कब्जे में लिया जाकर सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पष्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि साहब मैं अभी-अभी आपके निर्देषानुसार आरोपी श्री समुन्द्र सिंह को 3500/- रूपये एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर हंसराज को 2500/- रिश्वत राशि के देकर आया हूॅं दोनों अभी कार्यालय में बैठे हुये है तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के सानिवि खण्ड लालसोट के कार्यालय कक्ष में पहुॅंचा तो परिवादी ने दो व्यक्तियों की तरफ ईशारा कर बताया कि यही समुन्द्र सिंह बाबू व हंसराज कम्प्यूटर ऑपरेटर है जिन्होने अभी अभी मेरे से मेरे द्वारा डी क्लास ठेकेदारी के लाइसेंस हेतु दिये गये आवेदन पर कार्यवाही करने एवं लाइसेंस बनवाने की एवज में श्री समुन्द्र सिंह द्वारा रिश्वत में 3500/- रूपये व श्री हंसराज द्वारा 2500/- रूपये लिये है। और समुन्द्र सिंह ने मुझ से कल भी 1500/- रूपये रिश्वत के लिये थे। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताया परिवादी द्वारा बताये गये उक्त दोनों व्यक्तियों से उनका नाम पता पुछा तो सफेद जैसी शर्ट पहने हुये व्यक्ति ने अपना नाम समुन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति गुर्जर उम्र 35 साल निवासी ग्राम पावटा थाना सलेमपुर तहसील महुवा जिला दौसा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड लालसोट जिला दौसा होना बताया एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम हंसराज पुत्र श्री गोविन्द जाति माली उम्र 30 साल निवासी ग्राम राजौली थाना व तहसील लालसोट जिला दौसा हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (कार्य व्यवस्था हेतु प्राईवेट व्यक्ति) कार्यालय, अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लालसोट जिला दौसा होना बताया। उक्त दोनों आरोपियों से परिवादी द्वारा दी गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो श्री समुन्द्र सिंह ने बताया कि मेरे को जो लेखराज ने 3500/- रूपये दिये थे वो मैने कार्यालय में कार्य व्यवस्था हेतु प्राईवेट रूप से लगाये हुये सहायक कर्मचारी श्री विष्णु कुमार सैनी को दे दिये है जो विष्णु कुमार के पास है इस पर श्री विष्णु कुमार के संबंध में श्री समुन्द्र सिंह से पूछा तो उसने पास खडे हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही विष्णु कुमार है जिसको मैने 3500/-रूपये दिये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने पास खडे हुये व्यक्ति से उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम विष्णु कुमार सैनी पुत्र श्री मीठालाल सैनी उम्र 26 साल जाति माली निवासी नेहरू कॉलोनी लालसोट थाना लालसोट जिला दौसा हाल (कार्य व्यवस्था हेतु प्राईवेट व्यक्ति) कार्यालय, अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लालसोट जिला दौसा होना और रिश्वत राशि अपने पास हाथ में ही होना बताया। चूकि उक्त कार्यालय में बैठने हेतु पर्याप्त व्यवस्था नही होने के कारण उक्त तीनों आरोपीगणों को अग्रिम कार्यवाही हेतु डिटेन किया जाकर अधिशाषी अभियंता के कक्ष में बैठने हेतु हमराह लेकर मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान व परिवादी मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के अधिशाषी अभियंता कक्ष में पहॅुंचा। जहाँ आरोपी श्री समुन्द्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से परिवादी से 3500/- रूपये रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मै कार्यालय, अधिशाषी अभियंता सानिवि खण्ड लालसोट में सितम्बर 2023 से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थापित हूॅं मेरे पास कोई भी ठेकेदारी का लाईसेंस के लिये आवेदन करता उस पर मेरे द्वारा नोटशीट पर लेकर दस्तावेज संलग्न कर उपर भेजने का काम होता है लेखराज मीना तकरीबन 4-5 दिन पहले आया था जिसने मुझे कहा था की मैने ऑनलाईन आवेदन डी क्लास ठेकेदारी लाईसेंस हेतु कर रखा है। फिर मैने उससे कहा कि मै आगे उसे प्रोसेस में डाल दूंगा। उसने मुझसे कहा की मेरे काम को कर दो मै आपको खर्चा पानी दे दूंगा इसके बाद कल दिनांक 16.10.2025 को लेखराज आया था जो मुझे 1500/- रूपये देकर गया था और मैने उससे 3500/- रूपये और लाकर देने की कहा तो उसके बाद आज उसने मुझे 3500/- रूपये दिये थे जिनको मैने मेरी पहनी हुयी शर्ट की सामने की जेब में रखकर कार्य व्यवस्था हेतु लगे हुये सहायक कर्मचारी श्री विष्णु कुमार सैनी को जेब से निकालकर दे दिये तभी आपकी टीम आ गई। मैने कोई लेखराज मीणा से रिश्वत नही ली है। इस पर परिवादी लेखराज मीना ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि इन्होने मेरे से मेरा डी क्लास का ठेकेदारी का लाईसेंस बनाने की एवज रिश्वत राशि3500/- रूपये लिये है। तत्पश्चात श्री विष्णु कुमार सैनी से आरोपी श्री समुन्द्र सिंह से 3500/- रूपये लेने

के संबंध मे पूछा तो विष्णु कुमार सैनी ने बताया कि मै कार्य व्यवस्था हेतु कार्यालय अधिशाषी अभियंता सानिवि खण्ड लालसोट में सहायक कर्मचारी के रूप में कार्य करता हूॅ मुझे उक्त कार्य करने के लिये 13000/- रूपये मासिक वेतन मिलता है आज मै कार्यालय में ही था उसी समय समुन्द्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने मुझे अपनी शर्ट की जेब से 3500/- रूपये निकालकर दिये थे जो अभी भी मेरे हाथ में है समुन्द्र सिंह को उक्त रूपये डी क्लास ठेकेदारी का लाईसेंस बनवाने आये व्यक्ति श्री लेखराज मीना ने दिये थे। उक्त रूपयो को मेरे पास से कार्यालय समय के पश्चात पुनः श्री समुन्द्र सिंह को दे देता हूॅं। इस पर आरोपी श्री विष्णु कुमार के दाहिने हाथ में ली हुई राशि को स्वंतत्र गवाहान श्री कृष्णावतार को सुरक्षित रखने के लिये संभलायी गयी। तत्पश्चात आरोपी श्री हंसराज से परिवादी से 2500/- रूपये रिश्वत राशि लेने के संबंध में पुछा तो आरोपी हंसराज ने बताया कि मै कार्य व्यवस्था हेतु कार्यालय अधिशाषी अभियंता सानिवि खण्ड लालसोट में कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य करता हॅू मुझे उक्त कार्य करने के लिये 14000/- रूपये मासिक वेतन मिलता है। मेरे पास कुछ दिन पहले श्री लेखराज मीना डी क्लास ठेकेदारी का लाईसेंस बनवाने के लिये आवेदन लेकर आया था। जिससे मैने ऑनलाईन करने के लिये खर्चा पानी मांगा था इसके बाद कल दिनांक 16.10.2025 को लेखराज मीना मेरे पास आया था जिससे मैने कहा कि मैने तुम्हारा आवेदन पत्र फार्म ऑनलाईन किया है मुझे 2500/- रूपये देकर जाना इसके बाद आज दिनांक 17.10.2025 को लेखराज मीना मेरे पास आया जिसने मुझे 2500/- रूपये दिये थे जिनको मैने अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी तरफ की जेब में रख लिये तभी आपकी टीम आ गई। तत्पश्चात आरोपी श्री हंसराज से जेब में रखी हुई रिश्वत राशि को निकालकर पेश करने के लिये कहा तो आरोपी ने 2500/- रूपये अपनी जेब से निकालकर पेश किये गये जिनको गवाह श्री कृष्णावतार को संभलायी जाकर सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किया। तत्पश्चात् कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री समुन्द्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी तथा बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगुठे के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर मामूली हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क RH-1,RH-2 व LH-1, LH-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके बाद आरोपी समुन्द्र सिंह से उसके द्वारा पहनी हुई शर्ट उतार कर पेश करने के लिये कहा तो उसने शर्ट उतारकर पेश की तो आरोपी को पहनने के लिये टी-शर्ट दी गई। शर्ट का अवलोकन किया गया तो सफेद रंग जैसी चैक शर्ट है जिसके कॉलर के पीछे अग्रेंजी में स्टूडेण्ट लिखा हुआ है। शर्ट के बांयी जेब को उल्टाकर एक साफ प्लास्टिक के गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया जिसमें शर्ट की उल्टी जेब को डूबोकर धुलवाया गया तो जेब का धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे मौजूदगान देखकर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क SP-1,SP-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई एवं आरोपी की शर्ट की जेब को उलटवाकर धोवन लिया गया था को सुखवाकर जेब पर लाल पैन से गोला कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली में सील मोहर कर उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क S अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो और साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री विष्णु कुमार सैनी सहायक कर्मचारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग गुलाबी तथा बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगुठे के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर मामूली हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क RH-3,RH-4 व LH-3, LH-4 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। तत्पश्चात कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो और साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री हंसराज कम्प्यूटर ऑपरेटर के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो

'दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग गुलाबी तथा बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगुठे के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी हो गया, जिसे ंमौजूदगान ने देखकर मामूली हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क RH-5,RH-6 व LH-5, LH-6 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। आरोपीगणों के रिश्वत राशि बरामद व हाथ धुलवाई करवाते हुये की विडियोग्राफी बनवाई गई। इसके बाद आरोपी श्री हंसराज कम्प्यूटर ऑपरेटर से उसके द्वारा पहनी हुई पेंट उतार कर पेश करने के लिये कहा तो उसने पेंट उतारकर पेश की तो आरोपी को पहनने के लिये पायजामा दिया गया। पेंट का अवलोकन किया गया तो हल्का हरा रंग है पेंट के दाहिनी जेब को उल्टाकर एक साफ प्लास्टिक के गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया जिसमें पेंट की उल्टी जेब को डूबोकर धुलवाया गया तो जेब का धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे मौजूदगान देखकर गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क PP-1,PP-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई एवं आरोपी की पेंट की जेब को उलटवाकर धोवन लिया गया था को सुखवाकर जेब पर लाल पैन से गोला कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली में सील मोहर कर उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री विष्णु कुमार सैनी के पास मिली रिश्वत राशि 3500/- रूपये जो गवाह कृष्णावतार के पास सुरक्षित रखी हुई को गिनवाया जाकर कार्यालय में बनायी गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर समान होना पाये गये। बरामदशुदा नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितां के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री हंसराज के पास मिली रिश्वत राशि 2500/- रूपये जो गवाह कृष्णावतार के पास सुरक्षित रखी हुई को गिनवाया जाकर कार्यालय में बनायी गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर समान होना पाये गये। बरामदशुदा नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितां के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया तत्पष्चात् परिवादी से प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपीगणों के मध्य रिश्वत लेन-देन की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई, जिसकी अलग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व जब्ती एसडी कार्ड/डीवीडी तैयार की जावेगी एवं रिश्वत राशि बरामदगी एवं हाथ धुलाई की विडियोग्राफी की फर्द व जप्ती एसडी/डीवीडी तैयार की जावेगी। परिवादी व आरोपीगणों से आपसी रंजिष, दुष्मनी व उधार के लेन-देन बाबत पूछा तो सभी ने ही इंकार किया। आरोपीगण श्री समुन्द्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री विष्णु कुमार सैनी सहायक कर्मचारी, श्री हंसराज कम्प्यूटर ऑपरेटर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत अपराध की श्रैणी में आने पर अतः आरोपीगणों को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एंव हाथ धुलाई पृथक् से तैयार कर बाद संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री समुन्द्र सिंह के रिहायशी मकान की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। इसके बाद समय 05ः00 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री लेखराज मीना की निशादेही से कार्यवाही हाजा के घटनास्थल का नजरी निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका तैयार किया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 05ः30 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के सामने आरोपी श्री समुन्द्र सिंह हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड लालसोट जिला दौसा को मांग सत्यापन दिनांक 16.10.2025 व रिश्वत राशि लेन-देन समय दिनांक 17.10.2025 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता जिसको कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया जाकर एसडी कार्ड/डीवीडी तैयार की गई थी, उसमें आई उक्त वार्ता से विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु उनके अधिकारों से अवगत करवाया जाकर नमूना आवाज देने बाबत कहा गया तो आरोपी ने अपनी स्वेच्छा से अपनी नमूना आवाज देने से इन्कार किया। तत्पश्चात समय 05ः50 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री समुन्द्र सिंह हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड लालसोट जिला दौसा को जुर्म से आगाह किया जाकर अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को समस्त बीएनएसएस निहित प्रावधानों के अनुसार हस्व कायदा गिरफ्तार किया विस्तृत विवरण फर्द में अंकित किया जाकर बाद हस्ताक्षर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 06ः20 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री आरोपी विष्णु कुमार सैनी हाल (कार्य व्यवस्था हेतु प्राईवेट व्यक्ति) कार्यालय, अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लालसोट जिला दौसा द्वारा आरोपी श्री समुन्द्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लालसोट जिला दौसा से 3500/- रूपये रिश्वत राशि लेकर प्राप्त कर अपने पास रखना व स्वंय से बरामद होना आदि जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को समस्त बीएनएसएस निहित प्रावधानों के अनुसार हस्व कायदा गिरफ्तार किया विस्तृत विवरण फर्द में अंकित किया जाकर बाद

हस्ताक्षर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 06ः40 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी हंसराज हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (कार्य व्यवस्था हेतु प्राईवेट व्यक्ति) कार्यालय, अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लालसोट जिला दौसा को मांग सत्यापन समय दिनांक 16.10.2025 व रिश्वत राशि लेन-देन समय दिनांक 17.10.2025 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता जिसको कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया जाकर एसडी कार्ड/डीवीडी तैयार की गई थी, उसमें आई उक्त वार्ता से विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु उनके अधिकारों से अवगत करवाया जाकर नमूना आवाज देने बाबत कहा गया तो आरोपी ने अपनी स्वेच्छा से अपनी नमूना आवाज देने से इन्कार किया। तत्पश्चात समय 07ः00 पीएम पर आरोपी हंसराज हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (कार्य व्यवस्था हेतु प्राईवेट व्यक्ति) कार्यालय, अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लालसोट जिला दौसा द्वारा परिवादी से उसके डी क्लास ठेकेदार का लाईसेंस ऑनलाईन के एवज में दिनांक 16.10.2025 को परिवादी से 2500/- रूपये रिश्वत की मांग करना व अपनी मांग के अनुसरण में आज दिनांक 17.10.2025 को 2500/- रूपये लेते हुये रंगे हाथों पकडे जाने पर रिश्वत राशि बरामद होना आदि जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तहत दण्डनीय अपराध होने से गिरफ्तार किया विस्तृत विवरण फर्द में अंकित किया जाकर बाद हस्ताक्षर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। उक्त तीनों आरोपीगणों की चैक लिस्ट मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08ः00 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी लेखराज मीना के कार्य से संबंधित कार्यालय, अधिशाषी अभियंता, सानिवि खण्ड लालसोट जिला दौसा में लगी हुई पत्रावली के संबंध में आरोपी श्री समुन्द्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से पूछा तो उसने बताया कि परिवादी के डी क्लास ठेकेदारी लाईसेंस से संबंधित पत्रावली कार्यालय में मेरे कार्य करने की टेबिल पर रखी हुई है मै चलकर उसको बता सकता हूँ इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाह आरोपी श्री समुन्द्र सिंह व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री लोकेश कुमार के हमराह लेकर आरोपी के कार्य करने के स्थान पर पहुँचे जहाँ आरोपी ने अपने कार्य करने की टेबिल से एक पत्रावली पेश की जिसको हमराह लेकर अधिशाषी अभियंता कक्ष में आरोपी मय हमराहीयान के कार्यालय से रवाना होकर पहुँचा पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली में फाईल कवर पर अग्रेजी अक्षर में डी-43 फर्म आर. पी. कन्ट्रक्शन प्रो0 लेखराज मीना लिखा हुआ है पत्रावली में प्रथम पेज पर परिवादी का आवेदन पत्र मय फोटो के लगा हुआ है। पत्रावली पेज संख्या 1 लगायत 33 है पत्रावली के अन्तिम पेज 33 पर भारतीय स्टेट बैक की मूल एफडीआर लगी हुई है उक्त पत्रावली की कार्यवाही हाजा में बतौर वजह सबूत आवश्यकता होने पर पत्रावली की छायाप्रति करवायी जाकर उस पर अधिशाषी अभियंता से प्रमाणित करवायी जाकर असल पत्रावली परिवादी कार्य पूर्ण करने की मुनासिब हिदायत कर अधिशाषी अभियंता बालाबक्स को सुपुर्द की गई। जब्तशुदा प्रमाणित पत्रावली की प्रथम व अन्तिम पेज पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 09ः00 पीएम पर आरोपीगण श्री समुन्द्र सिंह व श्री हंसराज की आवाज की पहचान श्री बालाबक्स अधिषाषी अभियंता सानिवि खण्ड लालसोट दौसा से करवाई गई जिसकी फर्द पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 10ः00 पीएम स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी लेखराज मीना के समक्ष उक्त कार्यवाही में उपयोग लिये गये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड 16 GB के मे दिनांक 16.10.2025 को मांग सत्यापन के दौरान परिवादी व आरोपीगणो के मध्य रूबरू हुई वार्ता एवं एक नया मैमोरी कार्ड 16 जीबी में दिनांक 17.10.2025 को रिश्वत राशि लेन-देन के समय परिवादी लेखराज मीना व आरोपीगणो के मध्य रूबरू हुई वार्ता वॉइस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की हुई है। उक्त वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर दोनों मैमोरी कार्ड 16 GB के कवर में रखकर कवर के पीछे एक चिट चस्पाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मूल दोनों मैमोरी कार्डो 16 GB को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क क्रमशः A व B अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। इसके बाद समय 10ः20 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी लेखराज मीना पुत्र श्री बंशीलाल मीणा उम्र 23 साल निवासी ग्राम दुर्जनवास तहसील राहूवास जिला दौसा के सामने मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपीगणो से फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई के वक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक्सईएन कार्यालय में श्री लोकेश कुमार 155 से सरकारी मोबाईल मे नया मैमोरी कार्ड डालकर बनाई गई विडियोग्राफी की डीवीडी बनाने हेतु ट्रेप बाक्स से 3 खाली डी0वी0डी0 ली जाकर खाली होना सुनिश्चित कर सरकारी मोबाइल को लैपटाप से जोडकर रिकॉर्डशुदा विडियो की बारी-बारी से 3 डी0वी0डी0 तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर सभी डी0वी0डी0 पर मार्क- V-1,V-2,V-3 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी लेखराज मीना के हस्ताक्षर करवाकर डी0वी0डी0 मार्क V-1 न्यायालय हेतु एवं मार्क V-2 मालखाना हेतु प्लास्टिक के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित दोनो डी0वी0डी0 को अलग-अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क V-1,V-2 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा तीसरी डी0वी0डी0 मार्क V-3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा जाकर शामिल पत्रावली किया गयाएवं मोबाईल में लगाया जाकर बनाई गई विडियोग्राफी के उक्त मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड 16 ळठ को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल से निकाल कर मैमोरी कार्ड 16 GB के कवर में रखकर कवर के पीछे एक चिट चस्पाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मैमोरी कार्ड 16 GB को एक सफेद

कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क V अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से मोबाइल मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा विडियोग्राफी की श्री लोकेश कुमार कानि0 155 से जो डी0वी0डी0 बनवाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एंव कांट छांट नही की गई है। तत्पश्चात समय 10ः45 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री लेखराज मीना निवासी ग्राम दुर्जनवास, तह0 राहुवास, जिला दौसा के सामने मन् पुलिस निरीक्षक ने रिश्वत राशि लेन देन के समय परिवादी व आरोपीगण श्री समुन्दर सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं हंसराज सैनी कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड लालसोट जिला दौसा के मध्य दिनांक 17.10.2025 को रिश्वति राशि लेन देन के समय हुई वार्ता जिसको परिवादी द्वारा उसे सुपुर्द किये गये सरकारी वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था को वर वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादी से प्राप्त कर कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से चालूकर सुना गया। परिवादी श्री लेखराज मीना द्वारा अपनी व आरोपीगण श्री समुन्दर सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लालसोट जिला दौसा व अन्य की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की मम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता का एसडी कार्ड एवं डीवीडी बनाने हेतु दो खाली एसडी कार्ड एवं चार डीवीडी ली जाकर सभी को खाली होना सुनिश्चित कर वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड (16 जीबी) में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से दो एसडी कार्ड एवं चार डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर दोनो एसडी कार्ड पर मार्क- B-1,B-2 व चारों डीवीडी पर मार्क B-3,B-4 B-5, B6 अंकित कर दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री लेखराज मीना के हस्ताक्षर करवाकर एसडी कार्ड मार्क B-1,B-2 को अलग-अलग उनके कवर सहित जिस पर चिट चस्पा कर अलग-अलग सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी B-1,B-2 अंकित कर न्यायालय हेतु एवं तीन डीवीडी मार्क B-3,B-4 B-5 को अलग-अलग प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर अलग-अलग सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क B-3,B-4 B-5 अंकित कर, सील मौहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर आरोपीगण प्रति हेतु कब्जे एसीबी लिया गया तथा चौथी डीवीडी मार्क B-6 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। जिसमें आई वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन देन वार्ताओं की रिकार्डिंग हेतु उपयोग में लिये गये मूल मैमोरी कार्डो की पृथक-पृथक हैश वैल्यू निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 11ः55 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्तशुदा रिश्वत राशि नोटां को, धोवन के सैम्पलों, एसडी कार्ड/डीवीडी व समस्त आर्टिकल्स को सील्ड मोहर करने हेतु उपयोग में ली गई कार्यालय की नमूना ब्रांस सील नम्बर 53 पीतल जिसका नमूना है। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त नमूना ब्रांस सील नम्बर 53 पीतल को बाद कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू श्री मुकेश चन्द, कानि. नं. 101, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा से मौके पर ही तुड़वाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद दिनांक 18.10.2025 को समय 12ः05 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी मय स्वतंत्र गवाहान व गिरफ्तारशुदा आरोपीगण व सरकारी व प्राईवेट वाहनों मय जब्तशुदा समस्त आर्टिकलों तथा प्रिन्टर, लैपटॉप व वजह सबूत आदि के बाद सम्पन्न कर ट्रेप कार्यवाही वापस दौसा के लिये रवाना होने पर समय 01ः00 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवानापुदा राजकीय अस्पताल, दौसा जहाँ तीनों आरोपीगणों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षा की दृष्टि से बन्द हवालात करवाकर वापिस कार्यालय आया और जब्तशुदा आर्टिकलों को जमा मालखाना करने हेतु एचएम मालखाना को सुपुर्द किया। स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी का समझाईष कर कार्यालय से रूखसत किया गया।. सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपीगण 1. श्री समुन्द्र सिंह 2. हंसराज के द्वारा वैध पारिश्रमिक के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री लेखराज मीना से उसके द्वारा डी क्लास की ठेकेदारी हेतु बनवाये जा रहे लाईसेंस की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 16.10.2025 को आरोपी श्री समुन्द्र सिंह द्वारा 3500/- रूपये की मांग करना एवं 1500/-रूपये नगद रिश्वत प्राप्त करना एवं आरोपी श्री हंसराज द्वारा परिवादी श्री लेखराज मीना से उसके द्वारा डी क्लास की ठेकेदारी हेतु बनवाये जा रहे लाईसेंस के आवेदन को ऑनलाईन करने की एवज में 2500/- रूपये रिश्वत की दौराने मांग सत्यापन दिनांक 16.10.2025 को मांग करना उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 17.10.2025 को आरोपी श्री समुन्द्र सिंह सहायक प्रषासनिक अधिकारी द्वारा परिवादी से 3500/- रूपये प्राप्त कर आरोपी 3. श्री विष्णु कुमार सैनी को मौके पर देना व आरोपी श्री विष्णु कुमार सैनी से 3500/- रूपये रिश्वत राशि बरामद होना एवं आरोपी हंसराज द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 2500/- रूपये लेते हुये रंगे हाथो पकडा जाना व रिश्वत राशि बरामद होने का जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया है। अतः 1. श्री समुन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति गुर्जर उम्र 35 साल निवासी ग्राम पावटा थाना सलेमपुर तहसील महुवा जिला दौसा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड लालसोट जिला दौसा 2. हंसराज पुत्र श्री गोविन्द जाति माली उम्र 30 साल निवासी ग्राम राजौली थाना व तहसील लालसोट जिला दौसा हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (कार्य व्यवस्था हेतु प्राईवेट व्यक्ति) कार्यालय, अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लालसोट जिला दौसा 3. श्री विष्णु कुमार सैनी पुत्र श्री मीठालाल सैनी उम्र 26 साल जाति माली निवासी नेहरू कॉलोनी

लालसोट थाना लालसोट जिला दौसा हाल (कार्य व्यवस्था हेतु प्राईवेट व्यक्ति) कार्यालय, अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लालसोट जिला दौसा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते एफआईआर क्रमाकंन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है।(रमेश चन्द)पुलिस निरीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा.............कार्यवाही पुलिस............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रमेश चन्द पुलिस निरीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री समुन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति गुर्जर उम्र 35 साल निवासी ग्राम पावटा थाना सलेमपुर तहसील महुवा जिला दौसा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड लालसोट जिला दौसा 2. हंसराज पुत्र श्री गोविन्द जाति माली उम्र 30 साल निवासी ग्राम राजौली थाना व तहसील लालसोट जिला दौसा हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (कार्य व्यवस्था हेतु प्राईवेट व्यक्ति) कार्यालय, अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लालसोट जिला दौसा 3. श्री विष्णु कुमार सैनी पुत्र श्री मीठालाल सैनी उम्र 26 साल जाति माली निवासी नेहरू कॉलोनी लालसोट थाना लालसोट जिला दौसा हाल (कार्य व्यवस्था हेतु प्राईवेट व्यक्ति) कार्यालय, अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लालसोट जिला दौसा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुनिल सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 520 पर अंकित (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1566-69 दिनांक 18.10.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2 जयपुर, 2.-मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि.राजस्थान, जयपुर 3 -उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर-प्रथम, 4-.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दौसा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** sunil sihag **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan, I[illegible]
Date: [illegible]/2025 [illegible]

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1989				
2	Male	1995				
3	Male	1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान) Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)